35

संख्या– 492 /XVII–C–1/2021–6(2)/2020

प्रेषक

एल0 फैनई
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल)
देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग **देहरादून : दिनांक** 12 **मई, 2021**

विषय :– **कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण बेरोजगार उत्तराखण्ड वासियों को "उपनल" के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या : 814/XVII–5/2020–06(02)/2020 दिनांक 16 सितम्बर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वास्थ्य, हाउसकीपिंग, हास्पिटैलिटी एवं तकनीकी आदि क्षेत्रों में मांग के सापेक्ष उपनल में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों/उनके विधिक आश्रित उपलब्ध न होने की स्थिति में इन क्षेत्रों में कोविड–19 के कारण बेरोजगार उत्तराखण्ड वासियों के साथ–साथ राज्य के अन्य लोगों को भी "उपनल" के माध्यम से अन्तिमतः दिनांक 31.03.2021 तक पंजीकृत अभ्यर्थियों में से कुशल लोगों को वरीयता देते हुए रोजगार उपलब्ध होने की तिथि से 11 माह तक अस्थाई रोजगार उपलब्ध कराए जाने के आदेश निर्गत् किए गए हैं।

2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में कोविड–19 के दृष्टिगत उक्त शासनादेश के माध्यम से लागू पूर्व व्यवस्था को दिनांक 31.03.2022 तक जारी रखे जाने का निर्णय लिया गया है। शासनादेश संख्या : 685/XVII–5/16/09(17)/2004 दिनांक 05 जुलाई, 2016 को उक्तवत् सीमा तक आंशिक संशोधित समझा जाए। शासनादेश दिनांक 05 जुलाई, 2016 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी। दिनांक 31 मार्च, 2022 के पश्चात शासनादेश संख्या : 685/XVII–5/16/09(17)/2004 दिनांक 05 जुलाई, 2016 में निर्धारित व्यवस्था पूर्णरूपेण स्वतः प्रभावी/लागू समझी जाए।

भवदीय

(एल0 फैनई)
प्रमुख सचिव।